(b) if so, by what time the work would be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KARTIK ORAON): (a) Yes, Sir. Extension of the building has been planned.

(b) Construction is expected to commence by August, 1981 and completed by about middle of 1982.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उत्तर प्रदेश को जारी किया गया खाद्यान्न

8902. **श्री निहाल सिंह :** क्या कृषि, मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अक्तूबर नवम्बर और दिसम्बर, 1980 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई हेतु केवल 35,000 मीटरी टन गेहूं ही रिलीज किया था जबकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उपरोक्त तीनों महीनों में प्रत्येक महीने में 70 से 80 हजार मीटरी टन गेहूं वितरित किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य में वितरित किये गये गेहूं का अतिरिक्त मात्रा की तुलना में उत्तर प्रदेश को गेहूं रिलीज करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख). अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन प्रत्येक महीनों के लिए 35,000 मीटरी टन के आवंटनों के प्रति क्रमश: 58200, 32400 और 22400 मीटरी टन गेहूं का वितरण किया था। उत्तर प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटन को बढ़ाकर मार्च, 1981 में 45,000 मीटरी टन कर दिया गया था और इसे अप्रैल और मई, 1981 के दौरान 40,000 मीटरी टन के हिसाब से बनाए रखा गया है।

दिल्ली में उचित दर मूल्य की दुकानों के लाइसेंस परमिट रद्द किया जाना

8903. **श्री निहाल सिंह :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भ्रष्टाचार के आरोप पर जिन पार्टियों के उचित दर मूल्य की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिय जाते हैं, इन्हें उसी कार्य के लिए पुन: लाइसेंस नहीं दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में गत एक वर्ष में कितने लाइसेंस/परमिट रद्द किये गये ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में कितने और किन-किन दुकानदारों को उचित दर मूल्य की दुकान के लिए लाइसेंस पुन: दिये गये और किन-किन शर्तों पर ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती): (क) से (ग). कदाचारों के आरोप के कारण उचित दर की दुकान के किसी दुकानदार का लाइसेंस एक बार रद्द कर दिए जाने के बाद केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें पुनरीक्षा करने पर परिस्थितियां उसकी वापसी/नया प्राधिकार देने को न्याय संगत ठहराती हैं, दुबारा नहीं दिया जाता है। पिछले एक वर्ष (1-4-80 से 31-3-81) के दौरान दिल्ली में 28 उचित दर की दुकानें रद्द की गयी थीं।

उपर्युक्त अवधि के दौरान निम्नांकित उचित दर की दुकानों के मालिकों के प्राधिकार को बहाल किया गया था :—

1. मैसर्स सूरज भान अग्रवाल, 1976, बाजार सीताराम, दिल्ली। उचित दर दुकान सं० 1271।